

जीवाजी विश्वविद्यालय, गवालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो एवं क्रमाक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,

जीवाजी विश्वविद्यालय

गवालियर

क्रमांक:एफ/डी.सी.डी.सी./2016/ ३७१०

दिनांक: ३०/११/१७

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय एवं अशासकीय,

समस्त विधि महाविद्यालय,

जीवाजी विश्वविद्यालय, गवालियर,

विषय:- बार कौसिल ऑफ इंडिया से मान्यता का पत्र प्रस्तुत करने बावजूद।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि बार कौसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से सत्र 2013-14 से सत्र 2017-18 के मान्यता के पत्र की एक प्रति इस विश्वविद्यालय कार्यालय को शीघ्र भेजे जिससे आपके महाविद्यालय द्वारा संचालित विधि पाठ्यक्रम को सत्र 2017-18 में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जा सके।

इस संबंध में कार्यकारी सचिव म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद् उच्च न्यायालय प्रांगण जबलपुर म.प्र. से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसे छात्र/छात्राये जिन्होंने विधि की उपाधि उत्तीर्ण की है और इनके महाविद्यालयों ने बार कौसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं ली है ऐसे छात्र/छात्राओं का अधिवक्ता नामांकन नहीं किया जायेगा।

अतः सभी महाविद्यालयों से निवेदन है कि नियम का पालन करते हुए बार कौसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता का पत्र शीघ्र इस विश्वविद्यालय कार्यालय को भेजे।

भवदीय
Anuradha
डायरेक्टर, ३०/११/२०१७

महाविद्यालय विकास परिषद